प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 107/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'सार्वजनिक संरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम के आवंटन' सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 'सार्वजनिक संरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर सिफारिशें जारी की हैं।

दूरसंचार विभाग ने 27 फरवरी 2019 को अपने पत्र द्वारा बताया कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन–ग्राउंड और ट्रेन–ट्रेन संचार के लिए अपने नेटवर्क के साथ एक अल्ट्रा–हाई–स्पीड एलटीई आधारित संचार कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में भारतीय रेलवे ने दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया कि वह इसके लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित करे और 10 मेगाहर्ट्ज निशुल्क आवंटित किया जाए क्योंकि यह प्रस्ताव किसी भी वाणिज्यिक लाभ के लिए नहीं बल्कि केवल सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है। उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन और उसकी मात्रा, मूल्य, उपयुक्त आवृत्ति बैंड (450–470 मेगाहर्ट्ज बैंड सहित) और किसी भी अन्य संबंधित मुद्दे पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

2. इस संबंध में, 24 जून 2019 को 'संरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन' पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया गया था। 12 हितधारकों से टिप्पणियां और 2 हितधारकों से प्रति–टिप्पणियां प्राप्त की गई थी। नई दिल्ली में 26 अगस्त, 2019 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया था।

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सूचना और अपने विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'सार्वजनिक संरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम के आवंटन 'पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध 35 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम में से 5 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम भारतीय रेलवे को ईटीसीएस लेवल–2, एमसी पीटीटी + वॉइस, आईओटी आधारित संपति निगरानी सेवाओं, यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली और एक समय में कुछ कोचों की वीडियो निगरानी और लाइव फीड को कार्यान्वित करने के लिए आवंटित किया जा सकता है। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में शेष 30 मेगाहर्ट्ज (यूग्मित) को आगामी नीलामी में नीलामी के लिए रखा जा सकता है।

ख) ट्रेन के सभी कोचों (सुरक्षा सेवाओं) के लिए वीडियो निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए, भारतीय रेलवे संचार के अन्य साधनों का पता लगाएं जैसे–

1) जब ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुँचती है तो उच्च क्षमता के वाईफाई का उपयोग करते हुए वीडियो निगरानी डेटा को सिस्टम में डंप करना।

2) अपने नियंत्रण केंद्र पर सतत् वीडियो निगरानी डेटा स्ट्रीम भेजने के लिए सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क (टीएसपी नेटवर्क) का उपयोग करना।

ग) समय–समय पर निगरानी की एक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम के कुशल और समय पर उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, भारतीय रेलवे को 900 मेगाहट्र्ज बैंड में पहले से ही दिया गया 1.6 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को एलटीई आधारित नेटवर्क पर माइग्रेशन के आधार पर वापस लिया जा सकता है।

घ) भारतीय रेलवे सिर्फ अपने रेलवे ट्रैक नेटवर्क और स्टेशनों के साथ असाइन किए गए स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहा है, दूरसंचार विभाग कैप्टिव उपयोग के लिए अन्य संस्थाओं के लिए क्षेत्र–विशेष सीमित उपयोग के लिए अन्य क्षेत्रों में उसी स्पेक्ट्रम को असाइन करने की संभावना का पता लगा सकता है । हालाँकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह के उपयोग से रेलवे के नेटवर्क में कोई हस्तक्षेप न हो।

ड.) स्पेक्ट्रम को केवल कैप्टिव उपयोग के लिए प्रशासनिक आधार पर भारतीय रेलवे को सौंपा जा सकता है और यह वाई–फाई ऑनबोर्ड जैसी किसी भी व्यावसायिक सेवाओं की पेशकश के लिए नहीं होना चाहिए।

च) स्पेक्ट्रम शुल्क को कैप्टिव उपयोग हेतु रॉयल्टी शुल्क और लाइसेंस शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा यथा निर्धारित फॉर्मूला के आधार पर लगाया जा सकता है।

4. सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है। स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, यदि कोई हो, श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +9 1- 11-232 10481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।</u>